## प्रथम सूचना रिपोर्ट

	(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)
ा. जिला - भ्र0निव	ब्यूरो, बारां , थाना – प्रधान आरुक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्युरो, जयपुर
प्र०सू०रि० संख्या	ब्यूरो, बारां थाना – प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर 7.5/2.022 दिनांक 8/3/2.022
2. (1) अधिनियम-	पी.सी एक्ट 1988धाराऐं— 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
(2) अधिनियम	धाराऐं
(3) अधिनियम	धाराऐं
(4) अन्य अधिनिय	ाम एवं धाराऐं
3. (क) घटना का	देन :- दिनांक - 16.07.2021
(ख) थाने पर सूच	ना प्राप्त होने की दिनांक — दिनांक 16.07.2021 समय 02.48 पी0एम0
(ग) रोजनामचा र	ांदर्भ प्रविष्टि संख्यासमय
4. सूचना कैसे प्राप्त	हुई— (लिखित या मौखिक) लिखित
<ol> <li>घटनास्थल का</li> </ol>	
	ा एवं दूरी — पूर्व <b>दिशा की और चौकी से दूरी करीब 110 किलो</b> मीटर
बीट संख्या	जुरामदेही सं
	सेमली तलहटी, थाना—कस्बाथाना तहसील—शाहबाद
	ने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नामजिलाजिला
6. शिकायतकर्त्ता / इ	
(क) नाम :- श्री विर	
2 0	नामः – श्री पप्पूराम जाटव
📭) जन्म तिथि/उ	
(घ) राष्ट्रीयता — भा	
	जारी करने की तिथिजारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय —	
	मली तलहटी, थाना कस्बा थाना, तहसील शाहबाद जिला बारां।
7. ज्ञात/सदिग्ध/	भज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :
0	
	साद मेहता पुत्र श्री पूरब चन्द मेहता निवासी कस्बाथाना, शाहाबाद, बारां (राज०)
हाल बयर फुट	टेक्निशियन, पंचायत समिति, शाहाबाद, बारां (राज0)
॰ भिक्ताग्रन / स्विज	। देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण : कोई नहीं
	त सम्पति की विशिष्टिया( यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें )
	वत सम्पति का कुल मूल्यः—
200	

महोदय हालात इस प्रकार है कि परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव पुत्र श्री पप्पूराम जाटव जाति जाटव उम्र 24 साल निवासी ग्राम से<mark>मली तलहटी, थाना कस्बा थाना, तहसील शाहबाद जिला बारां ने दिनांक 16.07.2021 को</mark> व्यरों कार्यालय बारां में उपस्थित होकर हस्तलिखित प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी बारां ी गोपाल सिंह कानावत को पेश किया। परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखना बताया। परिवादी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है। परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव ने मजमून दरयाप्त पर अवगत कराया है कि "मै सेमली तलहटी ग्राम पंचायत बमनगंवा पंचायत रामिति शाहा<mark>बाद जिला बारां का रहने वाला हूँ। मै नरेगा में मेट हूँ। मुझे नरेगा ऑफिस शाहाबाद से</mark> दिनांक 05.07.2021 📢 19.07.2021 तक 49 मजदूरों का मस्ट्रोल सेमली में काम कराने का दिया। इस मस्ट्रोल पर मैने 49 मजदूरों से काम शुरू कराया, जिनमें 18 मजदूर रोज काम करने आ रहे है। बाकि काम पर नही अले वाले मजदूरों की मै गैर हाजरी लगा रहा हूं। मेरे से नरेगा ऑफिस शाहाबाद में जेईएन साहब से नीचे कार्थरत कल्याण सिंह मेहता बीएफटी साहब ने मजदूरी के बिल बनाने के लिए 20 परसेन्ट मजदूरी का किभिशन रिश्वत के रूप में दिनांक 07.07.2021 को मेरे मोबाईल नं. 8302751101 से उसके मोबाईल नं. 9587455367 पर बात करके मांग रहा है। मेरे मस्ट्रोल पे जो मजदूर मजदूरी कर रहे है। इनका 13 दिन का बिल करीब 46000 रूपये का बनेगा जिसमे 20 परसेन्ट रिश्वत राशि 9200 रूपये होती है। मैं श्री कल्याण सिंह मेहता बीएफटी सरकारी अधिकारी नरेगा ऑफिस शाहाबाद को रिश्वत नहीं देना चाहता। उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी श्री कल्याण सिंह मेहता बीएफटी से कोई रंजिश नही है। मेरी कल्याण

11. पंचनामा / यूडी के संख्या (अगर हो तो ).....

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :--

(अनिष

असिंह मेहता बीएफटी से लेन—देन के रूपये बािक नहीं है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करे। "परिवादी श्री विजेन्द्र जाटव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मजमून दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं अष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 की परिधि में आना पाया जाने पर समय 03.20 पी०एम० पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को कक्ष में बुलाकर परिवादी से परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र देकर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिस पर मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस परिवादी को मय शिकायत प्रार्थना पत्र के अपने कक्ष में लेकर गया। परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मजमून दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि की मांग एवं अष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने पर परिवादी से रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि श्री कल्याण सिंह मेहता बीएफटी आज मुझे हमारे गांव में ही मिलेंगे, वहां पर ही मै उनसे रिश्वत की बात कर लूंगा।

समय 03.55 पी०एम० पर परिवादी की शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु परिवादी विरेन्द्र जाटव का परिचय श्री त्रिभुवन शर्मा कानि० 153 से करवाया। कार्यालय के मालखाने से दो डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाकर परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव को चलाने व बन्द करने का तरीका विधिवत समझाया गया तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर में पूर्व से कोई वार्ता रिकार्ड नहीं होने की संतुष्टि के पश्चात परिवादी को समझाईश की गई। परिवादी को समझाया गया कि वह आरोपी के पास जाने से पूर्व डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू कर ले तथा आरोपी और उसके बीच होने वाली रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करे। सत्यापन हेतु परिवादी के साथ श्री त्रिभुवन शर्मा कानि० 153 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान अपनी उपरिथति छुपाते हुये परिवादी के आस —पास रहकर वार्ता को सुनने की हिदायत देकर परिवादी के गावं सेमली तलहटी मोटर साईकिल से रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकार्डर भावक से तैयार की गई।

समय 10.25 पी०एम० पर रवानाशदा श्री त्रिभवन शर्मा कानि० 153 उपस्थित कार्यालय आया तथा पूर्व में परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव को सुपुर्दशुदा दो डिजीटल वाईस रिकार्डर मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को पेश कर बताया कि "मै और परिवादी कार्यालय से मोटर साईकिल से खाना होकर परिवादी के गांव सेमली तलहटी पहचे। परिवादी ने आरोपी को फोन किया तो आरोपी ने परिवादी को गांव के बाहर मिलने को कहा। इस पर परिवादी दोनो डिजीटल वाईस रिकार्डरो को चालू कर आरोपी के बताये जगह पर गांव के बाहर पहुचा। मै परिवादी से दूरी बनाये हुये अपनी उपस्थिति छुपाते हुये खडा हो गया। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया और दोनो डिजीटल वाईस रिकार्डर बन्द कर मुझे दिये तथा बताया कि मेरी श्री कल्याण सिंह मेहता बीएफटी से मेरे काम के संबंध में बात की तो श्री कल्याण सिंह मेहता बीएफटी ने मुझसे मेरे काम के बदले में रिश्वत की मांग की है। उसने मुझसे पांच हजार रूपये देने को कहा है और वह पैसे मुझसे उन्नीस तारीख को लेगा। हमारे बीच जो भी वार्ता हुई वह मैने डिजीटल वाईस रिकार्डरो में रिकार्ड कर ली है। परिवादी ने बताया कि शाम हो गई है और मेरे घर पर आवश्यक कार्य भी है इसलिये मै बारां चलने में असमर्थ हूँ। इसलिये परिवादी को निर्देशानुसार उसके गांव ही छोडकर तथा मामले की गोपनीयता बनाये रखने व निर्देशानुसार दिनांक 19.07.2021 को 10.00 एएम पर कार्यालय में मय रिश्वत राशि के उपस्थित आने की हिदायत कर उपस्थित कार्यालय आया हूँ"। डिजिटल वॉईस रिकार्डरो में रिकार्ड वार्ता को मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुना गया तो श्री त्रिभुवन कानि० 153 के कथनो की पृष्टि होना पाया गया। दोनो डिजीटल वॉईस रिकार्डरो को मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर्स पृथक से तैयार की गई। श्री त्रिभुवन कानि० व रिकार्ड वार्ता अनुसार ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात दिनांक 19.07.2021 समय 09.30 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु श्री जितेन्द्र सिंह कानि० 514 को एक लिखित तहरीर अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत्त बारां के नाम देकर दो स्वतंत्र गवाह पाबन्द कर साथ लाने हेत् रवाना किया। समय 10.00 ए.एम. पर श्री जितेन्द्र सिंह कानि० 514 मय स्वतंत्र गवाह श्री सियाराम जाट पुत्र श्री भंवरलाल जाट जाति जाट उम्र 24 साल निवासी ग्राम व पोस्ट बोरखण्डीकलां थाना पीपलू, तहसील पीपलू जिला टोंक हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड मांगरोल, जिला बारां हाल कार्यालय जल संसाधन खण्ड प्रथम बारां एवं श्री सतवीर सिंह पुत्र श्री लीलाराम जाति गुर्जर उम्र 28 साल निवासी 7 गुर्जर मोहल्ला ग्राम मोराका थाना नगर तहसील नगर जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड भंवरगढ, जिला बारां हाल कार्यालय जन संसाधन खण्ड तुतीय बारां के उपस्थित आया। समय 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव उपस्थित कार्यालय आया।

अनिष

🔹 परिवादी ने मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मुझसे पांच हजार रूपये की व्यवस्था नहीं हो पाई। में ढाई हजार रूपये ही लेकर आया हूँ। श्री कल्याण सिंह मेहता बी०एफ०टी० मुझसे ढाई हजार रूपये ही ले लेगा और मै उससे बाकी पैसे बाद में देने की कह दूंगा। इस पर कार्यालय में पूर्व से मौजूद दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिचय परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव से करवाया गया तथा परिवादी द्वारा पेश हस्तलिखित शिकायत प्रार्थना पत्र उक्त दोनो गवाहान को पढवाया जाकर द्वेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही तो दोनो गवाहों ने मौखिक सहमति प्रदान की तथा दोनो गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर उस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 11.40 ए.एम. ट्रेप कार्यवाही हेतूं महिला कानि० की आवश्यकता होने से थानाधिकारी थाना कोतवाली बारां जिला बारां के नाम एक तहरीर जारी कर श्री बबलेश कानि0 261 को थाना कोतवाली बारां से एक महिला कानि0 पाबन्द करवाकर लाने हेतु रवाना किया गया। समय 1.45 ए.एम. पर कार्यालय के मालखाने से दिनांक 16.07.2021 को गोपनीय सत्यापन हेत् परिवादी विरेन्द्र जाटव को सुपुर्द डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाया गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर में दिनांक 16.07.2021 की रिश्वत मांग के सम्बन्ध में रिकॉर्ड की गई वार्ता को डिजीटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर स्पीकर चालू कर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सियाराम जाट व श्री सतवीर सिंह एवं परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव को सुनाया गया। परिवादी ने रिकार्ड वार्ता में एक आवाज अपनी व एक आवाज आरोपी श्री कल्याण सिंह मेहता, बीएफटी ग्राम पंचायत बमनगंवा तहसील शाहबाद जिला बारां की होना बताया। उक्त वार्ता की दोनो गवाह व परिवादी की उपस्थिति में श्री राजेन्द्र मालव कानि० ३९१ से कम्प्यूटर के स्पीकर चालू करके फर्द ट्रांसिकप्ट हू ब हू नियमानुसार मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में ूतैयार करवायी गयी, जिसे संबंधितों ने पढकर अपने हस्ताक्षर किये। वार्ता के मुख्य अंश निम्नानुसार है:--

		0
परिवादी	में वांह की कह रहो थो	मै उसकी कह रहा था।
आरोपी	हां	हां
परिवादी	मैने कि वह अठाहरन को तो पूरो बनवा दियो	मैने कि वह अठारह का तो पूरा बनवा
		देना।
आरोपी	बिल्कुलअरे जिनकी जमानत मैने	बिल्कुलअरे जिनकी जमानत मैने
	.3	
परिवादी	मै तुम रो	मै तुम्हारा
आरोपी	आज भी नहीं काटयों मैंने बता सरपंच साहब ने	आज भी नहीं काटा मैने बता
	भी मुझ से कह दी	सरपंच साहब ने भी मुझ से कह दी
परिवादी	तुम तो लो	तुम तो लो
आरोपी	अरे मुनख जल्दी बैठा है	अरे मुनख जल्दी बैठा है
परिवादी	जल्दी तो सब को ही है	जल्दी तो सब को ही है
आरोपी	क्योंकि वह	क्योकि वह
परिवादी	तुमरो लगेगो जे दे देंगे, अठारह को पूरो बनवा दे	तुमरो लगेगा जो दे देंगे, अठारह का
		पूरा बनवा दे।
आरोपी	ठीक है ना	ठीक है ना
परिवादी	पांच दूंगा मै तो	पांच दूंगा मै तो
आरोपी	अरे जो भी	अरे जो भी
परिवादी	हं	<b>हं</b>
आरोपी	देख लेंगे अभी हाल, तु क्यू घबरा रही	देख लेंगे अभी हाल, तु क्यू घबरा रहा
		है
परिवादी	नही नो ज्यादा, मतलब वेसे ज्यादा नही, पांच ही	नही नौ ज्यादा, मतलब वेसे ज्यादा
	दूंगा मै तो	नही, पांच ही दूंगा मै तो
आरोपी	हों हां ठीक है ना, मस्त रे तु साईट में चल	हां हांठीक है ना, मस्त रे तु
	पांच ही दे देना, कोई बात नहीपेमेन्ट पूरा बन	साईट में चलपांच ही दे देना, कोई
	जायेगा	बात नहीपेमेन्ट पूरा बन जायेगा
परिवादी	अरे यार भाई साहब इतेक, मेरे पास ज्यादा नही है,	अरे यार भाई साहब इतने, मेरे पास

-		ज्यादा नही है,
आरोपी	अरे कब कर देगो तु,	अरे कब कर देगा तु,
परिवादी	जे उन्नीस तारीख को मै कर दूंगोठीक है	यह उन्नीस तारीख को मै कर दूंगो ठीक है.
आरोपी	ठीक हैपक्की अपनी उन्नीस की	ठीक हैपक्की अपनी उन्नीस की.

उपरोक्त वार्ता में आरोपी, परिवादी से कह रहा है कि "हां हां.....ठीक है ना, मस्त रे तु........ साईट में चल......पांच ही दे देना, कोई बात नही.......पेमेन्ट पूरा बन जायेगा......." तथा परिवादी से पूछ रहा है कि "अरे कब कर देगे तु" इस पर परिवादी द्वारा उन्नीस तारीख को देने की बात कही इससे स्पष्ट है कि आरोपी परिवादी से परिवादी के कार्य के बदले में पांच हजार रिश्वत राशि लेने पर सहमत है।

समय 12.25 पी.एम. पर रवानाशुदा श्री बबलेश कानि० मय सुश्री तनवीर महिला कानि० 1144 थाना कोतवाली बारां के उपस्थित आया, जिसे गोपनीय कार्यवाही में साथ रहने हेतू निर्देशित कर बैठाया गया। समय 12.30 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव पुत्र श्री पप्पूराम जाटव जाति जाटव उम्र २४ साल निवासी ग्राम सेमली तलहटी, थाना कस्बा थाना, तहसील शाहबाद जिला बारां ने निर्देशानुसार अपने पास से निकालकर आरोपी श्री कल्याण सिंह मेहता, बी०एफ०टी० पंचायत समिति शाहाबाद, जिला बारां को बतौर रिश्वत दिये जाने हेतु पांच-पांच सौ रूपये के पांच नोट कुल ढाई हजार रूपये (2500 रूपये) मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। जिनके नम्बर फर्द में अंकित किये गये। श्री बबलेश कानि० २६१। से मालखाना से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटो को एक अखबार के उपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपरिथति भागावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सियाराम जाट से लिवाई गई। परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव के पास उसके मोबाईल फोन को छोडकर पहने हुए वस्त्रों के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुए 2500 रूपये के नोटो को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने दांहिनी जेब में श्री बबलेश कानि० 261 से रखवाये गये। इसके बाद काँच के एक गिलास में साफ पानी मंगवांकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बीनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री बबलेश कानि० 261 के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को गवाहान एवम परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इस नोट को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धूलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि / नीट पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी वापस मालखाने में रखवायी गई। श्री बबलेश कानि० २६१ के हाथ एवम् ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशियों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी सदस्यों, परिवादी व गवाहो ने भी अपने–अपने हाथ साफ पानी व साब्न से धोये। परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुवे एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें। परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव को समझाया कि रिश्वत देने के बाद अपना मास्क हटाकर या मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिसकॉल कर रिश्वत प्राप्ति का ईशारा करे। डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया गया तथा आरोपी से रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतू परिवादी को समझाईश की गयी। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया गया कि रिश्वत लेन-देन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। श्री बबलेश कानि० २६१ को कार्यालय में ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। समय 01.00 पी०एम0 पर परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव ने मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी श्री कल्याण सिंह मेहता उसके घर करबाथाना ही मिलेगा। वहां पर ही वह मुझसे रिश्वत राशि लेगा। इस पर एक प्राईवेट वाहन कार में मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव, दोनो स्वतंत्र<mark>,</mark> गवाहन श्री सियाराम <mark>जाट व श्री सतवीर सिंह मय जाप्ता श्री राजेन्द्र मालव कानि० ३९१ व</mark> सुश्री तनवीर म0कानि० 1144 एवं सरकारी वाहन बोलेरा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत, श्री इस्माईल अंसारी हैंड कानि० ०७, श्री जितेन्द्र सिंह कानि० ५१४, श्री त्रिभवन कानि० १५३, श्री यशवंत शर्मा किनेष्त्र सहायक मय चालक श्री जगवीर सिंह कानि० 377 मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय द्रेप बॉक्स, ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री सहित करबाथाना के लिये रवाना हुये। समय 02.55 पी०एम० पर मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही जाप्ता मय साथ लाये प्राईवेट एवं सरकारी वाहनो से ग्राम कस्बाथाना जिला बारां के पास पहुंचा। दोनो वाहनो को रोड की एक साईड में खडा करवाया। परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव से आरोपी की लॉकेशन पता करने हेतु परिवादी के मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर कॉल

अनिष

करवाया गया तो आरोपी द्वारा खेत पर होना बताया तथा कुछ समय बाद आने की कहा। इस पर मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस द्वारा साथ लाये वाहनो को उचित स्थान पर खडा कर आरोपी के फोन आने के इन्तजार में मय ट्रेप पार्टी के मुकीम हुआ। समय 06.00 पी०एम० तक आरोपी का परिवादी के पास नही आने पर परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव से आरोपी की लॉकेशन पता करने हेतू परिवादी के मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर पुनः कौल करवाया गया। कॉल करने के बाद परिवादी ने मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि श्री कल्याण सिंह मेहता उसके दूसरे खेत पर चला गया है और उसने कहा है कि मुझे आने में देर हो जायेगी इसलिये आज मिलना मुश्किल है, बाद में आने की कहा है। परिवादी ने बताया कि शाम का समय हो गया है एवं मुझे आवश्यक कार्य है इसलिये में आपके साथ बारां चलने में असमर्थ हूँ। इस पर परिवादी के बताये अनुसार आज ट्रेप कार्यवाही होने की संभावना नही होने व परिवादी का बारों चलने में असमर्थ होने से परिवादी से डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री सियाराम जाट से परिवादी के पास रखी रिश्वती राशि को निकलवाकर एक खाली लिफाफे में रखकर गवाह के पास ही सुरक्षित रखवाया गया। समय 06.20 पी०एम० पर परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव को मामले की गोपनीयता बनाये रखने व आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने पर मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करने की हिदायत देकर सक्शल रूखसत किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहन मय द्वेप पार्टी सदस्यों मय द्वेप बॉक्स, मय लेपटॉप मय द्वेप में काम आने वाली सामग्री के साथ लाये प्राईवेट एवं सरकारी वाहन से कार्यालय भ्रनिब्यूरो बारां के लिये रवाना हुआ। समय 08.25 पी०एम० पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय साथ गये स्वतंत्र गवाहन मय जाप्ता साथ गये वाहनो से कार्यालय हाजा पहुंचा। रिश्वती राशि को स्वतंत्र गवाह से प्राप्त कर एवं डिजीटल वाईस रिकार्डर को श्री इस्माईल अंसारी हैंड कानि० 07 से सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। स्वतंत्र गवाहन श्री सियाराम जाट व श्री सतवीर सिंह को मामले की गोपनीयता बनाये रखने व द्रेप कार्यवाही हेतू पूनः बुलाने पर तुरन्त कार्यालय 📭 हाजा में उपस्थित होने की हिदायत कर सकुशल रूखसत किया गया। परिवादी से सम्पर्क कर आईन्दा द्वेप कार्यवाही का आयोजन किया जावेगा।

दिनांक 23.07.2021 समय 11.30 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस श्री अनिष अहमद द्वारा परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव से जर्ये मोबाईल सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि श्री कल्याण सिंह मेहता बीएफटी से मेरा अभी सम्पर्क नहीं हुआ है और ना ही उसने मुझे पैसे लेकर बुलाया है। मैं उससे सम्पर्क कर या उसका फोन आने पर आपको तुरन्त सूचित कर दूंगा। परिवादी का फोन आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 16.08.2021 समय 11.50 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव से जर्ये मोबाईल सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि वह मेट की ट्रेनिंग के लिये जयपुर आया हुआ है। वह ट्रेनिंग के बाद गांव आकर श्री कल्याण सिंह मेहता बीएफटी से सम्पर्क कर आपको सूचित कर दूंगा। परिवादी का फोन आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 27.09.2021 समय 11.50 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव से जर्ये मोबाईल सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि श्री कल्याण सिंह मेहता बीएफटी अब मुझसे रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि उसे मुझ पर शक हो गया है। अब वह मुझसे रिश्वत नहीं लेगा। इस पर परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु एसीबी बारां आने के लिये कहा तो परिवादी ने बताया कि मैं अभी खेती बाड़ी के काम में व्यस्त हूँ। खेती बाड़ी के काम से निपटने के बाद मैं आपके यहां आ जाउंगा। परिवादी के आने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 16.12.2021 समय 11.50 ए.एम. पर मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री विरेन्द्र जाटव से जर्ये मोबाईल सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि वह अभी गांव में नहीं है रिश्तेदारी में बाहर गया हुआ है। वहां से आने के बाद मैं बारां आपके कार्यालय में आ जाउंगा।

दिनांक 30.12.2021 समय 03.00 ए.एम. पर परिवादी श्री वीरेन्द्र जाटव ने कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर एक टाईपशुद प्रार्थना पत्र राशि लौटाने के सम्बन्ध में मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को इस आशय का प्रस्तुत किया कि "मेरे से नरेगा ऑफिस शाहाबाद में जेईएन साहब से नीचे कार्यरत कल्याण सिंह मेहता बीएफटी साहब द्वारा मजदूरी के बिल बनाने के लिए 20 परसेन्ट मजदूरी का किमशन रिश्वत के रूप मे रिश्वत की मांग की जाने पर मैने दिनांक 16.07.2021 को आपको कार्यवाही करने हेतु शिकायत पेश की थी। जिस पर गोपनीय सत्यापन करवाया गया था। दिनांक 19.07.2021 को मै, श्री कल्याण सिंह मेहता को रिश्वत में देने हेतु 2500 रूपये लेकर आया था, जिन पर आप द्वारा पाउडर लगाकर मुझे श्री कल्याण सिंह मेहता को देने के लिये मुझे दिये थे। परन्तु उस दिन श्री कल्याण सिंह मेहता को मुझ पर शक हो जाने के कारण उसने मुझसे पैसे नहीं लिये। उसके बाद आप द्वारा पाउडर लगे मेरे 2500 रूपये मुझसे लेकर आपके यहां ही सुरक्षित रखवा दिये थे। इसके बाद मैने कई बार कल्याण सिंह मेहता से रिश्वत के सम्बन्ध में बात करनी चाही तो उसने मुझसे बात नहीं की। इससे मुझे लगता है कि श्री कल्याण सिंह मेहता को मुझ पर शक हो गया है और वह मुझसे ना तो अब रिश्वत की बात करता है और ना ही रिश्वत राशि लेगा। अतः निवेदन है कि "मेरे द्वारा

आपके कार्यालय में जना करवायी गई राशि 2500 रूपये वापस लौटाने की कृपा करे। " प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। परिवादी वीरेन्द्र जाटव ने पूछताछ पर मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि कल्याण रिंह मेहता को मुझ पर शक हो गया है। वह मुझसे अब बात भी नही करता है। इसलिये वह अब मुझसे रिश्वत राशि नहीं लेगा। प्रार्थना पत्र एवं परिवादी के बताये अनुसार अब ट्रैप कार्यवाही सम्भव होना प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। समय 03.10 पी०एम० पर अग्रिम कार्यवाही करने हेत् कार्यवाही के दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सियाराम जाट कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड मांगरोल, जिला बारां एवं श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड भंवरगढ, जिला बारां हाल कार्यालय जन संसाधन खण्ड तृतीय बारां को जरिये मोबाईल श्री राजेन्द्र मालव कानि० 391 के कार्यालय हाजा तलब करने के श्री राजेन्द्र मालव कानि० 391 को निर्देश दिये गये। श्री राजेन्द्र मालव कानि० 391 ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि स्वतंत्र गवाह श्री सियाराम अवकाश पर होने से गांव गया हुआ है। गवाह श्री सतवीर सिंह को कार्यालय में आने हेत् निर्देशित कर दिया है। समय 03.15 पी0एम0 पर कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही हेतु एक अन्य स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से एक तहरीर सहायक अभियन्ता, पीएचईडी बारां के नाम जारी कर श्री नरेन्द्र सिंह कानि० चालक को देकर एक गवाह साथ लाने हेतु रवाना किया गया। समय 03.30 पी०एम० पर कार्यवाही का पूर्व का स्वतंत्र गवाह श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड भंवरगढ, जिला बारां हाल कार्यालय जन संसाधन खण्ड तृतीय बारां उपस्थित कार्यालय आया तथा रवानाशुदा श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 चालक भी अपने साथ पीएचईडी कार्यालय बारां से स्वतंत्र गवाह श्री भगवती प्रसाद पांचाल, पम्प ऑपरेटर को साथ लेकर उपस्थित कार्यालय आया। गवाहानं का परिचय परिवादी श्री वीरेन्द्र जाटव से करवाया गया तथा कार्यवाही के हालात बताये गये। इसके बाद दोनो गवाहो से परिवादी श्री वीरेन्द्र जाटव द्वारा रिश्वत राशि लोटाने के सम्बन्ध में दिया गया प्रार्थना पत्र पढवाया गया। जिसको पढने के बाद दोनो गवाहों ने प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। समय 03.45 पी०एम० पर कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 16.07.2021 जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड थी को कार्यालय के लेपटॉप में सेव किया गया। दोनो गवाहो एवं परिवादी के समक्ष उक्त वार्ता की कार्यालय के लेपटॉप से चार डी०वी०डी० श्री राजेन्द्र मालव कानि० 391 से नियमानुसार डब करवायी गई। जिनमें से एक डी०वी०डी० माननीय न्यायालय के लिए, एक डी०वी०डी० आरोपी के लिए एवं एक डी०वी०डी० आवाज नमना की कार्यवाही के लिए कपड़े की थेली में रखकर सील मोहर किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये। एक डी०वी० ही० बिना सील के अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे में रखी गयी। कार्यवाही की फर्द डी०वी०डी० डिबंग वार्ता व जप्ती डी०वी०डी० नियमानुसार तैयार कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त चारो डीवीडीयां मालखाने में सुरक्षित रखवायी गयी। समय 04.00 पी०एम० पर दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष परिवादी श्री वीरेन्द्र जाटव द्वारा पेशकशी के दौरान मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को सुपूर्द की गई रिश्वत राशि 2500 रूपये फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त को श्री राजेन्द्र मालव कानि0 391 से मालखाने से निकलवाया गया। रिश्वत राशि 2500 रूपये का फिनोफ्थलीन पाउडर झटका कर परिवादी श्री वीरेन्द्र जाटव को वापस लौटाया गया। जिसकी फर्द सुपूर्दगी रिश्वती राशि नियमानुसार तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 04.15 पी०एम० पर बाद कार्यवाही परिवादी श्री वीरेन्द्र जाटव व स्वतंत्र गवाहान श्री सतवीर सिंह व श्री भगवती प्रसाद पांचाल को सकुशल रूखसत किया गया।

इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री कल्याण प्रसाद मेहता पुत्र श्री पूरब चन्द मेहता निवासी-कस्बाथान, शाहाबाद, बारां (राज0), हाल-बेयर फुट टेक्निशियन,( बीएफटी ) शाहाबाद, बारां (राजा०), का उपरोक्त कृत्य अपराध धारा ७, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम २०१८ के अन्तर्गत दण्डनीय पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को वास्ते क्रमांकन हेतू सादर प्रेषित है।

भवदीय

( अनिष अहमद ) उप अघीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

बारां।

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिष अहमद, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री कल्याण प्रसाद मेहता पुत्र श्री पूरब चन्द मेहता, निवासी कस्बाथाना, शाहबाद, जिला बारां हाल बेयर फुट टेक्निशियन, पंचायत समिति, शाहबाद, जिला बारां के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 75/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 682-86 दिनांक 8.3.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
- 2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 3. विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति शाहबाद, जिला बारां।
- 4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
- 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।